फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

मुकदमा संख्या :- 147/2020

का अवलोकन वकील वादी को करवाया गया तो वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट किसी भी प्रकार की आपत्ति पेश नही की गई है। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर करते हुये मुताबिक कुर्रेजात डिक्री किया जाना जाहिर किया।

वकील वादी की बहस पर गौर किया व कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो कुर्रेजात रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री के अनुरूप बनाये गये हैं। वादी वकील द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर किसी प्रकार से आपत्ति नही किये जाने से एवं कुर्रेजात राजस्व मंडल के नियमानुसार बनाये जाने से दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान पृथक पृथक किया जावें। नक्शा विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री के पार्ट रहेगे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू(जयपुर)